



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940

No. 914]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1227(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पदों की भर्ती के पद्धति को विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुसार अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 चिकित्सा मानक –

(1) वह व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्ति चाहता है, उसे इन नियमों के तहत शेष-। चिकित्सा मानकों को पूरा करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, “शेष-।” से तात्पर्य उस चिकित्सा प्रवर्ग से है जो गृह मंत्रालय अथवा संबंधित बलों द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित किए जाएंगे, अर्थात्, एस-मनोवैज्ञानिक समस्याएं, एच-श्रव्य (कान संबंधी बीमारियां), ए-उपरी अथवा निचले अंगों अर्थात् भुजा और पैर की समस्याओं से संबंधी उपाय, पी-हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप), कार्डियक (दिल) संबंधी बीमारियां, मधुमेह (शुगर की अधिक मात्रा) मोटापा (मोटा होना-अत्यधिक शारीरिक भार), कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित कारक और ई-दृष्टि अथवा आंख से संबंधित बीमारियां।

6. भारत के गैर नागरिकों की अपात्रता – किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के तहत नहीं की जाएगी :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, बल में नियुक्ति अथवा रोजगार के लिए नेपाल या भूटान के नागरिकों को लागू नहीं होगा।

7. अधिवर्षिता –

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस महीने, अपनी आयु के साठ वर्ष पूर्ण करेगा, वह उसी महीने के अंतिम दिन दोपहर पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाएगा :

परंतु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी महीने की पहली तारीख की है तो वह उससे पिछले महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विशिष्ट आयु के पश्चात् सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक उप निरीक्षक (मोटर परिवहन)	257* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनअनुसूचित (योधक)	स्तर -5 (रु. 29200 - 92300)	चयन पद

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(6)
लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
(i) प्रोन्नति : रिक्तियों को (चालक) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 उसी रैंक में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले हेड कांस्टेबल से भरा जाएगा और जिसने केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) का प्रोन्नति सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण : जहां पर ऐसे कनिष्ठ कार्मिक जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है एवं उनके वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, के आधे से ज्यादा अपेक्षित अर्हताओं अथवा पात्रता सेवा को पूरा करते हों और उन्होंने अपने कनिष्ठ कार्मिकों के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा को पहले ही पूरा कर लिया है।
(ii) प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) अथवा समतुल्य रैंक में कार्य कर रहे कार्मिक; अथवा (ख) केन्द्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में हेड कांस्टेबल (चालक) अथवा समतुल्य रैंक पर कार्य कर रहे कार्मिक, जिन्होंने उक्त रैंक में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो; और (ग) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में होना चाहिए। टिप्पण -1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य का इस बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और किसी मामले में यह पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। टिप्पण -3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) में निम्न शामिल होंगे। (i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अधिकारी जो कमाण्डेन्ट रैंक से नीचे का न हो - अध्यक्ष; (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के किसी अन्य कार्यालय या इकाई से एक उप-कमाण्डेन्ट या सहायक कमाण्डेन्ट या चिकित्सा अधिकारी - सदस्य; (iii) कार्यालय या इकाई का एक सहायक कमाण्डेन्ट - सदस्य।	लागू नहीं होता।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2018

G.S.R. 1227(E).—In exercise of powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Motor Transport) in the Central Industrial Security Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Security Wing, Assistant Sub-Inspector (Motor Transport), Group “C” posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of said posts, their Classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Standards.—(1) The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

(2) For the purposes of sub-rule (1), “SHAPE-I” shall mean the medical category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, **S** – Psychiatric problems, **H** – Hearing (Ear diseases), **A** – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, **P** - Factor is related to other disease like Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer, etc. and **E**– ye sight or Eye diseases.

6. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

8. Powers to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection Post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Sub-Inspector (Motor Transport).	257* (2018) *Subject to variation dependent on Workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300)	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by Promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>(i) Promotion: Vacancies shall be filled up from amongst Head Constable (Driver) with five years regular service in the rank being in medical category SHAPE-I and have successfully completed promotion cadre course of Assistant Sub-Inspector (Motor Transport) specified by the Central Government from time to time.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(ii) Deputation:</p> <p>(a) Personnel of the rank of Assistant Sub-Inspector (Motor Transport) or equivalent ranks in Central Police Organisations or State Police Organisations; or</p> <p>(b) Personnel of the rank of Head Constable (Driver) or equivalent ranks in the Central Police Organisations or State Police Organisations, who have completed five years regular service in the said rank; and</p> <p>(c) Should be in medical category SHAPE – I:</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years and in no case shall exceed five years.</p> <p>Note 3.- The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for confirmation and promotion) consisting of :- (i) An officer of the Central Industrial Security Force not below the rank of Commandant. (ii) A Deputy Commandant or Assistant Commandant or Medical Officer from other Central Industrial Security Force Office or Unit. (iii) Assistant Commandant of the Unit or Office. - Member.	Not Applicable.

[No. E-32012/03/2018/Estt.I]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.